FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

अर्जुन राम बनाम तहसीलदार साहब बायतु

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 136, 131 RLR नं. 280/2020 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/09/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/09/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट पूर्व में तैयार की जा चुकी है जो शामिल पत्रावली की गई। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 07/10/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
07/10/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी तहसीलदार बायतु को नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की मूल आवेदन पर बहस सुनी गई प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	

[signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:12:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व आवेदन संख्या 280 / 2020

प्रार्थीगण — बनाम — विप्रार्थीगण

1. अर्जुनराम पुत्र खेताराम
2. अमराराम पुत्र खेताराम जाति–दर्जी,
निवासी–लापला, तहसील–बायतु
जिला–बाडमेर

तहसीलदार, बायतु

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

उपस्थित :– 1. श्री किशनाराम वकील प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 07/10/2020

प्रार्थीगण श्री अर्जुनराम पुत्र खेताराम व अमराराम पुत्र खेताराम जाति–दर्जी, निवासी–लापला, तहसील–बायतु जिला–बाड़मेर की ओर से वकील श्री किशनाराम द्वारा रेकर्ड दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया।

प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 575 रकबा 1.3187 हैक्टेयर व मौजा कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया के खेत खसरा नम्बर 10 रकबा 10.9053 हैक्टेयर का आया हुआ है मौजा कोसरिया में प्रार्थी के पिता का नाम खेताराम पुत्र खूमाराम दर्ज है जबकि मौजा लापला में प्रार्थी के पिता का नाम खेमाराम पुत्र खूमाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम खेताराम है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये तथा विप्रार्थीगण तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। विप्रार्थीगण द्वारा मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के पिता का नाम खेताराम पुत्र खूमाराम दर्ज करने की अनुशंषा की गई है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों व विप्रार्थी की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा लापला की आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम भूलवंश खेताराम पुत्र खूमाराम के स्थान पर खेमाराम पुत्र खूमाराम दर्ज हो गया। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी है)
1	लापला	3	575	खेमाराम पुत्र खूमाराम	खेताराम पुत्र खूमाराम

तहसीलदार, बायतु आदेशानुसार राजस्व रैकर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:12:46 IST
Reason: SelfAttested